विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज)

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निष्पादन

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रीय-राज्य में एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें सामान्यत: देश में प्रचलन की अपेक्षा अधिक उदार आर्थिक नीतियों और अभिशासन व्यवस्था के लिए एक भिन्न विधिक ढांचे का प्रावधान है। उनकी भौगोलिक अवस्थितियों के आधार पर पूरे विश्व में मुक्त व्यापार क्षेत्र अलग अलग नामों द्वारा संबोधित किया जाता है। संयुक्त राज्य में उन्हें विदेश व्यापार क्षेत्र कहा जाता है जबकि विशिष्ट रूप से निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले विकासशील देशों में उन्हें विशेषकर निर्यात संसाधन क्षेत्र कहा जाता है। उन्हें चीन और भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, आयरलैंड में औद्योगिक मुक्त क्षेत्र या निर्यात मुक्त क्षेत्र, जार्डन और मिश्र में अर्हक औद्योगिक क्षेत्र (क्यूआईजेड), यूनाइटेड अरब अमीरात में मुक्त क्षेत्र और कोरिया रिपब्लिक में शुल्क मुक्त निर्यात संसाधन क्षेत्र भी कहा जाता है।

भारत का व्यापार क्षेत्रों के साथ परियुक्ति 1965 में कांडला गुजरात में प्रारम्भ पहला निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीज़ेड) प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार, अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र भारत के सामान्य सीमाशुल्क क्षेत्र से बाहर होने के लिए घोषित किए गए थे। अप्रैल 2000 में घोषित 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (सेज) नीति विकास इंजन के रूप में सेज को बनाना अभिप्रेत था जो विनिर्माण को बढ़ा सके, निर्यात में वृद्धि कर सके और रोजगार उत्पन्न कर सके। सेज को विशेष रूप से शुल्क मुक्त अन्त: क्षेत्र रूप में प्रस्तुत किया है और व्यापार प्रचालनों शुल्क और टैरिफ के प्रयोजन के लिए विदेशी क्षेत्र माना गया है तदनुसार, देशी टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से सेज को माल और सेवाएं निर्यात के रूप में माना जाना है और सेज से डीटीए को आने वाले माल को आयात के रूप में माना जाना है1 1 नवम्बर 2000 से 9 फरवरी 2006 तक सेज ने 'विदेश व्यापर नीति' (एफटीपी) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य किया और सुसंगत प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष कर संविधियों के प्रावधानों के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रभावी किया था।

डीओसी के पास यद्यपि सेज का परिणाम बजट है परन्तु स्कीम का कोई परिणाम विश्लेषण विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

1.2 नीति का उद्देश्य

सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम, 2005 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ जिसमें कार्यविधियों के सरलीकरण और केंद्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित मामलों को सिंगल विडों प्रणाली से निपटाने की व्यवस्था थी। सेज अधिनियम/नीति का मुख्य उद्देश्य (i) अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप का सृजन (ii) माल और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन (iii) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा (iv) रोजगार के अवसरों का सृजन और (v) आधारभूत संरचना सुविधाओं का विकास था। यह आशा की गई थी कि नए कानून से अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में सीधे विदेशी निवेश और देशी निवेश से भारी प्रवाह प्रेरित होगा जिससे नए रोजगार के अवसर का सृजन होगा।

1.3 सेज को प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन और सुविधाएं

सेज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कई कर प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं का सेज डेवलपर्स और यूनिटों के लिए प्रस्ताव किया गया है। उनकी चर्चा नीचे की गई है:

प्रत्यक्ष कर लाभ:

I. प्रथम पांच वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 एए के अन्तर्गत सेज यूनिटों की निर्यात आय पर उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट उसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत, और अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत वापस प्राप्त निर्यात लाभ,

II. आयकर अधिनियम की धारा 80-1एबी के अन्तर्गत 15 वर्षों में 10 वर्षों के खंड में सेज के विकास के कारोबार से अर्जित आय पर डेवलपर्स के लिए आयकर छूट।

III. आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अन्तर्गत मिनिमम आल्टरनेट टैक्स (एमएटी) से छूट (1 अप्रैल 2012 से वापस)।

IV. आयकर अधिनियम की धारा 115-O के अन्तर्गत लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट (1 जून 2011 से वापस)।

अप्रत्यक्ष कर लाभ:

I. विकास, सेज यूनिटों के प्रचालन और रखरखाव के लिए माल का शुल्क मुक्त आयात/देशी खरीद,

II. सेवाकर से छूट (धारा 7,26 और सेज अधिनियम की दूसरी अनुसूची),

III. केन्द्रीय बिक्री कर से छूट,

अन्य लाभ:

I. मान्यता प्राप्त बैंकिंग चैनेल के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के वर्ष में 500 मिलियन अमरीकी डालर तक सेज यूनिटों द्वारा वाहन व्यापारिक उधार,

II. केन्द्र और राज्य स्तर अनुमोदनों के लिए सिंगल विंडो निकासी,

III. राज्य वैट कर, स्टैम्प शुल्क और अलग अलग सरकारों द्वारा यथा परिवर्धित अन्य उद्ग्रहणों से छूट।

1.4 सेज की अनुमोदन प्रक्रिया और प्रशासन

डेवलपर[1] को संबंधित राज्य सरकार को एक सेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। राज्य सरकार को वह प्रस्ताव इसके प्राप्त करने की तारीख से 45 दिनों के अन्दर अपनी सिफारिश के साथ अनुमोदन बोर्ड वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करना है। आवेदक के पास सीधे अनुमोदन बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी विकल्प है। सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक 19 सदस्य की अन्तर-मंत्रालयीन अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के माध्यम से एक सिंगल विंडो अनुमोदन

---

[1] डेवलपर का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जिसको या राज्य सरकार जिसे केन्द्र सरकार द्वारा एक अनुमोदन पत्र दिया गया है (धारा 2(जी) आफ सेज अधिनियम, 2005)

तंत्र की व्यवस्था की गई है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत संस्तुत आवेदनों पर विचार आवधिक रूप से बीओए द्वारा किया जाता है। बोर्ड के सभी निर्णय सर्व सहमति से किए जाते हैं। क्षेत्र स्तर पर अनुमोदन समिति सेज में यूनिटों और अन्य संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र का विकास कमिश्नर अध्यक्ष होता है जो पदेन अनुमोदन समिति का सभापति है। सेज की अनुमोदन प्रक्रिया और कार्य में शामिल विभिन्न स्तरों को चित्र-1 में दर्शाया गया है।

डेवलपरों द्वारा सेज क्षेत्र के उपयोग के निपटान के लिए केन्द्र सरकार ने प्रचालनों की सूची अधिसूचित की है जिसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड सेज की रोजगार सृजन सम्भाव्यता के आधार पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे आवास, व्यापारिक स्थान, आदि आवश्यकता के आकार का निर्धारण करेगा और संसाधन क्षेत्रमें यूनिट के आबंटन/अधिभोग में प्रगति के आधार पर चरणबद्ध ढंग से विकास अनुभव करेगा।

सेज यूनिटों के सभी आयात/निर्यात प्रचालन स्व-प्रमाणन आधार पर हैं। क्षेत्रों में यूनिटों को नेट फारेन इक्सचेंज (एनएफई) फरियाद होना अपेक्षित है जो उत्पादन के प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से परिकल्पित की जाती है। इन यूनिटों को शुल्क मुक्त माल आयात/खरीद और धनात्मक एनएफई की प्राप्ति के संबंध में बांड एवं विधिक आश्वासन निष्पादित करना है।

एक सेज यूनिट यूएसी के अनुमोदन और आयातित माल और देशज पूंजी माल, कच्ची सामग्री आदि और स्टाक में तैयार माल पर लागू सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान पर सेज स्कीम से बाहर होने का विकल्प (डी-बांडिंग) ले सकेगा। डेवलपर्स के मामले यें डि-नोटीफिकेशन का अनुमोदन एमओसी एवं आई में बीओआई द्वारा होना है।

1.5 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का जीवन चक्र

चित्र 1

स्तर	मूल क्रियाकलाप
आवेदन	➢ डेवलपर या तो सीधे बीओए को अथवा राज्य सरकार के माध्यम से सेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है ➢ बीओए 'सिद्धांतत:अथवा ' औपचारिक अनुमोदन प्रदान करता है
अनुमोदन अधिसूचना	➢ केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है जब डेवलपर भूमि पर कब्जा, सानिध्य और अपरिवर्तनीय अधिकार प्रमाणित करता है ➢ बीओए अधिकृत प्रचालन की अनुमति देता है और एक यूनिट के साथ भी (यूएसी द्वारा दिया गया अनुमोदन) सेज प्रचालनात्मक हो जाता है और एलओपी पांच वर्ष के लिए वैध हो जाती है।
यूनिट का प्रचालन	➢ डेवलपर/यूनिटों को निर्यात करने के लिए विभिन्न कर रियायते/छूटें अनुमत हैं।
निगरानी और नियंत्रण	➢ डेवलपर्स/यूनिटों को क्रमश: फार्म ई और आई में एचपीआर/एपीआर प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें प्रचालनों के विवरण डीसी को सूचित किए जाते हैं।
	➢ डेवलपर/यूनिटों के निष्पादन की निगरानी यूएसी द्वारा की जाती है और चूककर्ता डेवलपर्स/यूनिटों के लिए एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।
सेज यूनिट/डेवल पर की बंदी	➢ सेज डेवलपर/यूनिटों के एग्जिट/क्लोजर का अनुमोदन क्षेत्रीय डीसी से सिफारिश के आधार पर बीओए द्वारा किया जाता है कि डेवलपर/यूनिट द्वारा ली गई सभी छूटें[2] सरकारी खाते में जमा कर दी गई हैं।

[2] *डि-नोटीफिकेशन आवेदन (फार्म सी6) में विकास कमिश्नर को प्रमाणित करना होता है कि कर/शुल्क छूट के उठाए गए लाभ के बराबर राशि सरकारी खाते में जमा कर दिए गए है।*

1.6 भारत में सेज का राज्यवार वितरण

एमओसी एवं आई के वेबसाइट (www.sezindia.nic.in) पर उपलब्ध डाटा के अनुसार 625 सेज मार्च 2014 तक अनुमोदित किए गए थे, इनमें से 392 यूनिटें अधिसूचित की गई थीं और 152 प्रचालनात्मक थीं जैसा कि नीचे चित्र 2 में चित्रित है।

चित्र-2: भारत में सेज

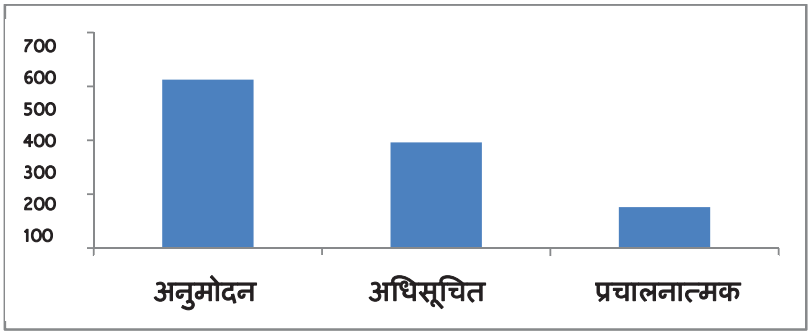

अनुमोदन/प्रचालन के स्तर के अनुसार सेज का राज्यवार वितरण नीचे चित्र 3 में दर्शाया गया है।

चित्र 3: भारत में सेज का वितरण

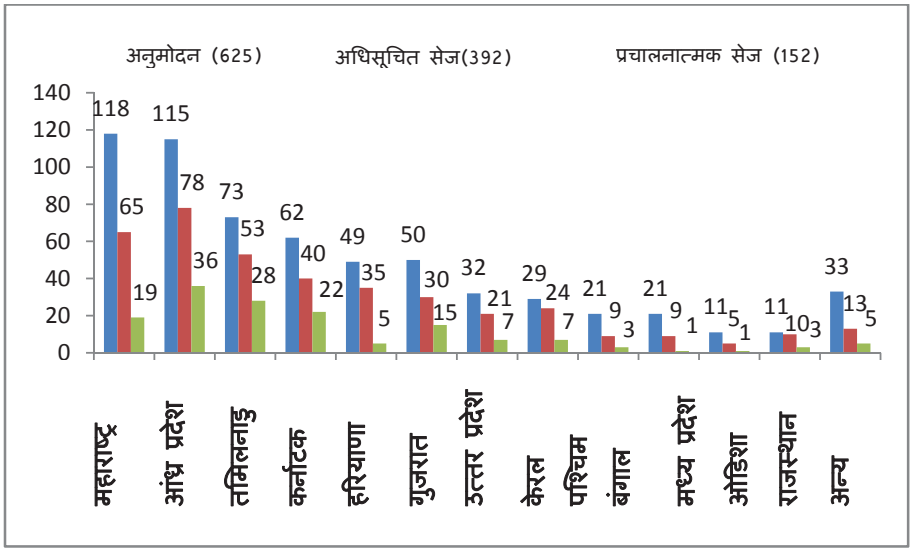

भारत में प्रचालनात्मक सेज की संख्या एमओसी एवं आई के वेबसाइट पर 173 के रूप में सूचित की गई है। इसमें 19 सेज जो सेज अधिनियम के अधिनियमन के पूर्व विद्यमान थी, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सत्यापन

के अनुसार आंध्र प्रदेश में 2 सेज (मै. एपिक सरपावरम, काकीनाडा और मै. मायतास, गोपनपल्ली) को प्रचालनात्मक यूनिट के रूप में गलती से सूचित किया गया है। इसलिए, सेज अधिनियम के अधिनियमन के बाद अखिल भारत में 152 सेज प्रचालनात्मक हुए हैं।

देश में आंध्र प्रदेश में प्रचालनात्मक सेज की सबसे अधिक संख्या (36) है इसके बाद तमिलनाडु (28), कर्नाटक (22), महाराष्ट्र (19) और गुजरात (15) में है। इन राज्यों में देश के प्रचालनात्मक सेज का 78.95 प्रतिशत है। तथापि, प्रचालनात्मक सेज की जब भारत में कुछ अनुमोदनों के साथ तुलना की व्यय तो प्रतिशतता 24.32 प्रतिशत बनती है और यह अधिसूचित सेज का केवल 38.77 प्रतिशत है।

प्रचालनात्मक सेज और अधिसूचित सेज का राज्यवार निष्पादन दर्शाता है कि 5[3] राज्यों मे देश के सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों के 79 प्रतिशत से अधिक बनते है।

डीओसी जांच कर सकते है कि अधिकांश सेज ऐसे राज्यों मे स्थित हैं जो औद्योगीकृत हैं और समुद्र पत्तन से जुडे है। अन्य राज्य (17 राज्य) सेज आधारित रोजगार, आय और निवेश को गवां दिये प्रतीत होता है।

1.7 हमने यह विषय क्यों चुना

ऐसे समय जब सरकार वित्तीय घाटे को कम करने और उपलब्ध संसाधनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग के लिए कठिनाई का सामना करती है, कोई व्यय अथवा आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष नकद हस्तान्तरण अथवा कर राजस्व का त्याग होने से न छूटे की लेखापरीक्षा में सावधानी से जांच होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नियंत्रण का वही सेट जो व्यय के लिए लागू है; कर व्यय के मामले में भी प्रयोग किए गए हैं।

सेज को दी गई रियायतों पर अनेक पैराग्राफों के अलावा अप्रत्यक्षकर के हिसाब से दी गई रियायतों के संबंध में कई कमियां 2008 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित की गई थीं। तथापि, सेज

[3] *आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात*

के सृजन और कार्य के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रिपोर्ट नहीं है। इस प्रकार, सेज अधिनियम के अधिनियमन के बाद सेज के निष्पादन की समीक्षा उचित है ताकि प्राइवेट सेज सहित नई व्यवस्था (एसईजी अधिनियम) के अन्तर्गत स्कीम की प्रभावोत्पादकता का विश्लेषण और व्यवस्था परक तथा अन्य मुद्दे यदि कोई है, को उजागर किया जा सके, जिससे स्कीम का अभिप्रेत लाभ एवं निर्यात, निवेश और रोजगार के पोषण द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जबकि इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य सेज के योगदान का निर्धारण करना और वास्तविक संभावना आर्थिक और सामाजिक लागत एवं देश में सेज के लाभ का मूल्यांकन करना था, हमारे कार्य का मार्गदर्शन हमारी योजना प्रक्रिया के दौरान नियत निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों द्वारा लिया गया था।

यह सत्यपित करना कि क्या:

क) सेज के अनुमोदन, सृजन, कार्य और निगरानी के संबंध में यथेष्ट सांविधिक प्रावधान/नियम, विनियम, अनुदेश/अधिसूचनाएं विद्यमान हैं;

ख) सेज/यूनिटों का अनुमोदन और प्रावधानों के अनुसार केन्द्र और राज्य कराधान विधियों के अन्तर्गत रियायतें प्राप्त करना अनुमत किया गया था;

ग) सेज/यूनिटें सेज नीति/सेज अधिनियम/सेज नियम/अनुमोदन मांगने वाले पत्र में बताए गए अभिप्रेत सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ थे; और

घ) सरकार के उत्तम हित की सुरक्षा के लिए यथेष्ट और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण विद्यमान है।

1.9 लेखापरीक्षा क्षेत्र और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

सचिव, वाणिज्य भारत सरकार को सम्बोधित पत्र के माध्यम से हमने हमारी लेखापरीक्षा टीम के लिए आवश्यक सहायता देने और मांगे गए अभिलेख/ सूचना प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ उक्त लेखापरीक्षा के समग्र प्रयोजन को सूचित किया था। निष्पादन लेखापरीक्षा क्षेत्र के कारण अपर सचिव,

एमओसी एवं आई, सदस्य, सीबीडीटी/सीबीईसी के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस 22 नवम्बर 2013 को आयोजित किया गया था।

यह विचार कर कि विषय का चयन लेखापरीक्षा के विभिन्न कार्यात्मक विंगो से छांट कर मुद्दों की एक सूची तैयार कर समीक्षा के लिए किया गया। हमारी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अप्रैल 2013 और जनवरी 2014 के बीच की गई जिसमें एमओसी एवं आई में बीओए जो डेवलपर के प्रस्तावों की सिद्धांतत:/औपचारिक अनुमोदनों[4] को देने के लिए जिम्मेदार हैं, के कार्यवृत्तों की समीक्षा अन्तर्ग्रस्त थी। इसके बाद हमने 2006-07 से 2012-13 अवधि के लिए अधिकारिक क्षेत्रीय विकास कमिश्नरों[5] के कार्यालयों में अधिसूचित, प्रचालनात्मक और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्यमान सेज (सेज के कार्य और मॉनीटरिंग की समीक्षा के लिए) संबंधित आयकर कमिश्नरों (सत्यापन के लिए कि निर्धारितियों की विवरणियों की संवीक्षा किस प्रकार हुई थी), सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कमिश्नरियों में (उस तरीके को समीक्षा करने के लिए जिसमें अप्रत्यक्ष कर छूटें अनुमत की गई थी) के चुने हुए नमूने की समीक्षा की थी, इसके अतिरिक्त, भूमि आबंटन मुद्दों सहित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) और सेज डेवलपर्स/यूनिटों को अन्य पर्यावरण अनुमति देने का सत्यापन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक विकास अधिकारियों से भी सूचना प्राप्त की थी।

---

[4] यह वर्गीकरण सेज के अनुमोदन के स्तर पर आधारित है। सिद्धान्ततः अनुमोदन के मामले में डेवलपर सेज परियोजनाओं की योजना पर विचार करके अनुमोदन प्राप्त करता है। दूसरी और औपचारिक अनुमोदन बीओए से सेज परियाजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन है।

[5] डीसी के एसईज़ेड, गुजरात, डीसी वीसेज, आन्ध्र प्रदेश, डीसी एफसेज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, डीसी सीसेज कर्नाटक और केरल, डीसी सीप्ज महाराष्ट्र, डीसी मेपसेज तमिलनाडु, डीसी एनसेज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के क्षेत्रीय डीसी के अन्तर्गत नमूने का अधिकार क्षेत्रीय विवरण।

सेज निर्धारितियों द्वारा प्राप्त की गई आयकर छूटों की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए हमने कम्पनियों और व्यष्टियों दोनों के लिए डीजीआईटी (सिस्टम), सीबीडीटी से प्राप्त किया था। अधिक अवस्थितियों वाले कुछ निर्धारिती अन्य राज्यों में अपनी विवरणी दाखिल कर रहे थे। अन्य राज्यों में अपने कार्यालयों की सहायता से हम डाटा का सत्यापन कर सके और उन विवरणियों के निर्धारण में कमियों को भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

इसके अलावा सभी केन्द्र और राज्य सरकार सेज और प्राइवेट सेज (19सेज) जो सेज अधिनियम 2005 के अधिनियमन से पहले प्रचालनात्मक थे को भी चुना गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकार, विभागों/एनटीटीज की सूचना/अभिलेख भी अनुमोदन की प्रक्रिया और सेज के प्रचालन की 360 डीग्री समीक्षा के लिए मंगाए गए/जांच किए गए थे।

सिस्टम के विभिन्न पणधारियों से प्रतिक्रिया मंगाने के लिए और एन्ट्री कान्फ्रेंस के दौरान एमओसी एवं आई द्वारा किए गए अनुरोध के अनुरूप हमने संबंधित डीसी/डेवलपर्स/यूनिट धारकों को सेज के कार्य के कतिपय मूल क्षेत्रों पर एक प्रश्नावली का प्रबन्ध किया था। परिणामों पर चर्चा इस प्रतिवेदन में की गई।

व्यापार और उद्योग संघ-व्यापार और वाणिज्य एवं उद्योग के पीएचडी चैम्बर-पीएचडीसीसीआई, भारतीय निर्यात संगठन के निर्यात संघ-फेडरेशन-एफआईईओ से प्रश्नावली सर्वेक्षण के माध्यम से भी सूचना प्राप्त की गई थी।

यह सत्यापन करने की दृष्टि से कि क्या डेवेलपर्स/यूनिटों ने सरकारी पट्टाकृत भूमि के गिरवी के माध्यम से ऋण लिया था, हमने यह सूचना भेजने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को पत्र भेजा जिसके कुछ उत्तर प्राप्त हुए थे।

मसौदा प्रतिवेदन 17 अप्रैल 2014 को डीओआर, डीओसी, सीबीईसी और सीबीडीटी को जारी किया था। एग्जिट कान्फ्रेंस 29 अप्रैल 2014 को आयोजित की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा नमूना

सेज की विभिन्न श्रेणियों (सिद्धांत: अनुमोदन/औपचारिक अनुमोदन/ प्रचालनात्मक/गैर-प्रचालनात्मक) के अन्तर्गत मामलों की मात्रा का विचार करके हमने 13 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में फैले 187 डेवलपर्स और 574 यूनिटों के प्रतिनिधि नमूनों का चयन किया था जो उनके कार्य के समस्त स्पेकट्रम के निर्धारण के लिए देश में कुल डेवलपर्स के 31 प्रतिशत और कुल यूनिटों के 21 प्रतिशत बनते थे। लेखापरीक्षा की अवधि के लिए चयनित मामलों की संख्या जो भूमि संबंधी मुद्दो की जांच और अनुमत अप्रत्यक्ष छूटों के ढंग के लिए नौ प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच है। प्रत्यक्ष कर के मामले में अप्रत्यक्ष कर मूल्यांकन के लिए चयनित सभी मामलों का चयन नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश मामलों में आयकर विवरणियां संवीक्षा के लिए नहीं आई और वर्तमान प्रथा के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणी की संवीक्षा के बाद ही लेखापरीक्षा जांच होती है। इसलिए डीटी मामले के लिए अलग मामलें का चयन किया गया था जहां 598 निर्धारितियों की संवीक्षा विवरणियों का लेखापरीक्षा में चयन किया गया था।

एमओसी एवं आई द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई फाइलों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट 1)।

1.11 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने अपने निष्कर्षो का निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंड के निम्नलिखित स्रोतों के प्रति बेंचमार्क किया:

I. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
II. सेवा नियमावली का एक्सपोर्ट, 2005
III. परिशिष्टों के साथ कार्यविधियों के हैंडबुक सहित विदेश व्यापार नीति (2004-09 और 2009-14)
IV. आयकर अधिनियम, 1961
V. पर्यावरण सुरक्षा के लिए समय-समय पर जारी पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुदेश तथा अनुमति देने में संलग्न शर्तें।

VI. भारतीय स्टेम्प अधिनियम, 1899

VII. समय-समय पर संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

VIII. एक्जिम नीतियों पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर

IX. लोक लेखा समिति बैठक दिनांक 23 अगस्त 2012 की सिफारिशें

X. व्यापार पर संसदीय स्थाई समिति की सिफारिश, सेज के कार्य पर 83वीं रिपोर्ट

XI. सेज पर ईजीओएम बैठक की सिफारिश

XII. सेज अधिनियम, 2005

XIII. सेज नियमावली, 2006

XIV. सेवाकर नियमावली, 1994

XV. धन कर अधिनियम, 1957

XVI. विकास, व्यापार, अवसंरचना, रोजगार और निवेश पर राष्ट्रीय डॉटाबेस।